संख्या-190/2024/1763/001-1763-23-10099-23-2024

प्रेषक,

धर्मेन्द्र कुमार पाठक,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-10 **लखनऊः दिनांकः 30 दिसम्बर, 2024**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान सं0-58 राजस्व लेखा में अनुरक्षण कार्यों हेतु द्वितीय अनुपूरक बजट के माध्यम से प्राविधानित धनराशि को प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग के निवर्तन पर रखे जाने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-2853सी/54सी/निवर्तन/2024-25 दिनांक 23.12.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान सं0-58 राजस्व लेखा में अनुरक्षण कार्यों हेतु द्वितीय अनुपूरक बजट के माध्यम से प्राविधानित धनराशि को प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग के निवर्तन पर रखे जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान सं0-58 राजस्व लेखा में द्वितीय अनुपूरक बजट के माध्यम से प्रदेश के मार्गों/पुलियों का अनुरक्षण कार्य हेतु रू0 200.00 करोड़ एवं प्रदेश के ग्रामीण मार्गों/पुलियों का अनुरक्षण कार्य हेतु रू0 200.00 करोड़ अर्थात कुल धनराशि रू0 400.00 करोड़ (रूपये चार अरब मात्र) को निम्न विवरणानुसार/शर्तों के अधीन व्यय करने हेतु प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष लो0नि0वि0 लखनऊ के निर्वतन पर रखे जाने की एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

(धनराशि रू0 करोड़ में)

क्रं0 सं0	योजना का नाम/15 अंकीय बजट कोड	वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु मूलबजट के माध्यम से स्वीकृत धनराशि	वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु अनुपूरक बजट के माध्यम से स्वीकृत धनराशि	वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु कुल बजट प्राविधान अनुपूरक सहित (3+4)	वित्तीय वर्ष 2024-25 में निवर्तन पर पूर्व में रखी गयी धनराशि	वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुपूरक बजट के माध्यम से स्वीकृत निर्वतन पर रखने हेतु धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
1	प्रदेश के मार्गों/पुलियों का अनुरक्षण कार्य **(3054-04-337-03-0301-29)**	1650.00	200.00	1850.00	1650.00	200.00
2	प्रदेश के ग्रामीण मार्गों/पुलियों का अनुरक्षण कार्य **(3054-04-337-03-0332-29)**	1650.00	200.00	1850.00	1650.00	200.00
	योगः -	**3300.00**	**400.00**	**3700.00**	**3300.00**	**400.00**

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

(1) प्रश्नगत धनराशि को प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष लो0नि0वि0 द्वारा एकमुश्त न आहरित कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय किया जायेगा तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर/डिपाजिट खाते में न रखी जाये।

(2) प्रश्नगत धनराशि के सापेक्ष आवश्यक अग्रेतर कार्यवाही हेतु बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के सम्बन्धित नियमों, स्थायी आदेशों, वित्त -अनुभाग (व्ययक-आय)1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-1/2024/ बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक 04.03.2024 एवं यथासंशोधित कार्यालय ज्ञाप सं0-4/2024/बी-1-607-दस/2024-231/2024 दिनांक 19.06. 2024में उल्लिखित समस्त शर्तों/अनुबंधों का अनिवार्य रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) उक्त शासनादेश दिनांक 04.03.2024 के प्रस्तर-3 में उल्लिखित निम्न व्यवस्था का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा:-

'' धनराशि का विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने से मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अंतर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति, विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।''

(4) केवल स्वीकृत योजनाओं/मदों पर व्यय किया जायेगा। किसी भी दशा में इस धनराशि का उपयोग अन्य मदों के कार्यान्वयन में नहीं किया जायेगा। निवर्तन पर रखी गयी धनराशि में से व्यय की गयी का धनराशि का मदवार विवरण सहित कृत कार्यवाही से शासन को समय-समय पर अवगत कराया जायेगा।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय (1) रुपये 2,00,00,00,000 (रुपये दो अरब मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 058 लेखा शीर्षक 3054043370301 प्रदेश के मार्गों /पुलियों का अनुरक्षण कार्य मानक मद 29 अनुरक्षण (2) रुपये 2,00,00,00,000 (रुपये दो अरब मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 058 लेखा शीर्षक 3054043370332 प्रदेश के ग्रामीण मार्गों /पुलियों का अनुरक्षण कार्य मानक मद 29 अनुरक्षण के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक 04.03.2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(धर्मेन्द्र कुमार पाठक)
उप सचिव।

संख्या-190/2024/1763(1)/001-1763-23-10099-23-2024,तददिनांक ।

प्रतिलिपि संलग्नक सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हक0, प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज ।
2- मुख्य अभियंता(मु0-1), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ ।
3- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ ।
3- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8 ।
4- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 एवं 2 ।
5- नियोजन अनुभाग-4 ।
7- लोक निर्माण अनुभाग-1 ।
8- गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(धर्मेन्द्र कुमार पाठक)
उप सचिव।